

आदेश

वेतन आयोग-2 -1632/19-62 (एम0)/2008 दिनांक 05.11.2009 के द्वारा वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में निदेशालय के आदेश पृ0 सं0 18545-47/ई-स्था0-छठा वेतन आयोग दिनांक 02.12.2009 को अतिक्रमित करते हुए उपरोक्त शासनादेश 05.11.2009 के पैरा -3 (1) में दी गयी व्यवस्था अनुसार वित्तीय स्तरोंनयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु विभाग के लिये निम्न स्कीनिंग कमेटी गठित की जाती है, उक्त कमेटी शासनादेश में दिये गये पैरा / अवलोकन के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करेगी।

1. श्री आर0सी0 राजपूत
अपर निदेशक
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 कानपुर।
अध्यक्ष
2. श्री जी0एस0 राय
प्रधानाचार्य मुख्यालय
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 कानपुर।
सदस्य
3. श्री एस0के0 प्रजापति
वित्त एवं लेखाधिकारी
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 कानपुर।
सदस्य

उक्त समिति के सहयोग हेतु निम्न कर्मचारियों की एक उपसमिति गठित की जा रही है जो समिति के उपरोक्त अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले लाभ हेतु विभाग के प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही करेगी।

1. श्री बी0पी0 सिंह, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 कानपुर।
2. श्री अजीत सिंह, वरिष्ठ सहायक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 कानपुर।

3. श्री प्रदीप अग्रवाल, वरिष्ठ सहायक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ० प्र० कानपुर।

4. श्री आनन्द गौड़, लेखा लिपिक, संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा प० क्षे० दौराला मेरठ।

समिति परीक्षणोपरान्त शासनादेशानुसार निर्धारित अवधि में अपनी संस्तुति अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(मधुकर)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उ० प्र०

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उ० प्र० कानपुर

पृ० सं०-1151/21/ई-स्था० छटा वेतन आयोग दिनांक 22-11-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समिति के उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्य प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ० प्र० कानपुर।
2. उपसमिति के उपरोक्त सदस्य।
3. समस्त संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ० प्र०।
4. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय प्राविधिक शिक्षण संस्थान उ० प्र०।

Madhukar

(मधुकर)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उ० प्र०

प्रेषक.

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश। कानपुर।

सेवा में.

प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय प्राविधिक शिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं० ६५७-७१३ / ई० स्था०/पेंशन/सामू. दिनांक १५-५-२०१०

विषय:- सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सेवा विस्तार अवधि में कटौती के सम्बन्धमें महोदय.

सेवानिवृत्त के उपरान्त वेतन से काटी गई सामूहिक बीमा की धनराशि में सेबचत निधि का भुगतान सेवानिवृत्त कार्मिकों को किया जाता है।

इस संबंध में सूचित करना है कि सामूहिक बीमा कटौती के सम्बन्ध में शासन का निर्देश है कि सम्बन्धित कार्मिक के निलम्बन तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि में कटौती होगी किन्तु पुनर्नियुक्ति अथवा सेवा विस्तार अवधि में कटौती नहीं होगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन के सपर्युक्त निर्देश के क्रम में कार्मिक की वास्तविक अधिवर्षता आयु के दिनांक तक सामूहिक बीमा की कटौती की जाये किसी भी दशा में सेवा विस्तार अवधि में कटौती न की जाये। उक्त का अनुपालन कड़ाई से किया जाये।

भवदीय
M. D. Kulkarni
(मधुकर)
निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश

पृ० सं० ७१५-१७ / ई० स्था०/पेंशन/सामूहिक बीमा २००९-१० तददिनांक १५-५-१०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा पूर्वी क्षेत्र वाराणसी, मध्य क्षेत्र लखनऊ, बुन्देल खण्ड क्षेत्र झांसी, पश्चिमी क्षेत्र दौराला मेरठ।

M. D. Kulkarni
(मधुकर),
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।